राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11(2)ग्रावि / नरेगा / पेनल्टी / 2010 / पार्ट–1 जयपुर, दिनांक– 29 JUL 2011

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ 3(1)डीओपी / ए–III / 2004 दिनांक 08.02.2010 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–15 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबन्ध में लघु शास्तियां (तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने तक) (संचयी प्रभाव के बिना) अधिरोपित करने के लिए, जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। कई जिला कलेक्टरों द्वारा इस अधिसूचना के अन्तर्गत कर्मचारियों को दण्डित किया है।

कई जिलों से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत जारी दण्डादेश के विरुद्ध अपील किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यह अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–15 के अन्तर्गत जारी की गई है। इन नियमों के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नियम–23 में किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि :– अधीनस्थ सेवा, लिपिक वर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी का कोई सदस्य, उस पर नियम–14 में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध नीचे यथा दर्शित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(1) अधीनस्थ सेवा–प्रशासनिक विभाग में सरकार को।
(2) लिपिक वर्गीय सेवा–प्रशासनिक विभाग में सरकार को।
(3) चतुर्थ श्रेणी सेवा–विभागाध्यक्ष को।

(2) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरूद्ध नियम–14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह ऐसे आदेश के विरूद्ध सरकार को अपील कर सकेगा।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2010 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील उपरोक्तानुसार प्राधिकारी के समक्ष की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम सेवक एवं पंचायती राज विभाग के अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत पारित दण्डादेश की अपील शासन सचिव, पंचायती राज विभाग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(सी.एस. राजन)
अति० मुख्य सचिव, ग्राविपंरावि

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के उल्लंघन पर धारा 25 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपण सम्बन्धी निर्देश

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम-राजस्थान)

क्रमांक:एफ 1 (14)आरडी/नरेगा/चैक/2010/

जयपुर : दिनांक

परिपत्र

महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन सभी स्तरों पर न केवल संवेदनशीलता से किया जाना आवश्यक है बल्कि इसके क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखना एवं विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही का निर्धारण करना भी नितान्त आवश्यक है जिससे कि योजना का पूर्ण लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिनमें से प्रमुख रुप से निम्न दिशा-निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है:-

(क) समूहवार कार्य की माप सुनिश्चित एवं विभिन्न स्तरों पर मस्टररोल से संबंधित प्रक्रिया में लगने वाले समय की मॉनिटरिंग एवं ट्रेकिंग के लिये विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2010 को निर्देश दिये गये।

(ख) दिनांक 09.06.2010 को मस्टर रोल जारी करने से भुगतान तक की प्रक्रिया मॉनिटरिंग किये जाने एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित किये जाने संबंधित निर्देश।

(ग) दिनांक 18जून 2010 को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान किये जाने संबंधित निर्देश।

(घ) सरकारी बैंकों के माध्यम से श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान संबंधित निर्देश दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं 26नवम्बर 2010

(ङ) कम मजदूरी दर संबंधित शिकायतों को कार्य के दौरान ही जांच करने एवं ऐसे प्रकरणों के संबंध में तत्काल कार्यवाही किये जाने के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 31 अगस्त 2010

(च) दिनांक 29 दिसम्बर 2009 को निर्धारित मापदण्डानुसार विभिन्न स्तरों पर नरेगा के कार्यों का निरीक्षण के संबंध में जारी निर्देश।

(छ) दिनांक 10 जून 2010 को ई-मस्टर रोल के क्रियान्वयन के संबंध में जारी निर्देश।

(ज) दिनांक 8फरवरी 2010 को पंचायत द्वारा सामग्री क्रय (नरेगा स्थाई समिति) के संबंध में जारी निर्देश।

(झ) दिनांक 13.09.2010 को वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2011-12 संबंधी निर्देश।

(ञ) एम.आई.एस को ऑन लाईन किये जाने के संबंध में जारी निर्देश।

(ट) इसके अलावा नरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शिका, 2010 जारी की गई है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश उल्लेखित हैं।

उक्त निर्देश उदाहरण स्वरूप उल्लेखित किये गये हैं। इस प्रकार के विभिन्न निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों में से प्रमुख रुप से अधिनियम की धारा, 3,6,7,8के साथ-साथ धारा 13 से 17, 23 एवं अधिनियम की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची की ओर विशेष रुप से आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा नरेगा के विभिन्न प्रावधानों को लागू किये जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है एवं यह भी अपेक्षा की गई है कि नरेगा योजना के क्रियान्वयन में श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम किन निर्देशों का ध्यान रखा जाना है तथा श्रमिकों के न्यूनतम अधिकार क्या है।

इसी अधिनियम की धारा 14 (3) के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना की क्रियान्विति से संबंधित सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है एवं अधिनियम की धारा 23 (6) द्वारा कार्यक्रम अधिकारी से 7 दिवस के अन्दर विवादों तथा शिकायतों के निपटारे की अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पैरा 36(ख)अनुसार नरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित जांच के प्रकरणों में कार्यस्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण एवं निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा करना होगा। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 19 के तहत अभाव अभियोग निराकरण नियम, 2010 का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 04.08.2010 को कर दिया है जिसके द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा नरेगा योजनान्तर्गत शिकायतों के स्वतन्त्र रुप से निपटारे के लिये राज्य के 7 जिलों यथा अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर में दिनांक 04.10.2010 को लोकपाल की नियुक्ति उपरान्त उनके द्वारा कार्य भी ग्रहण कर लिया है। अधिनियम की धारा 17 एवं अनुसूची के बिन्दु संख्या 13 (ख) के प्रावधानानुसार सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही भी 26अगस्त, 2010 से 16सितम्बर, 2010 तक सभी ग्राम पंचायतों में कराये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके तहत 6987 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार नरेगा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के साथ साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। चूंकि योजना के क्रियान्वयन के लिये अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक को ही जिम्मेदार माना गया है अत: राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को योजना से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शक्तियां प्रदान की गई। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2010 द्वारा नरेगा योजना में न्तार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां जिला कलक्टर्स को दी गई है। इस आदेश के अलावा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित करते हुये नई धारा 91 (क) जोड़ी गई है जिसके तहत जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ-साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं कार्यक्रम अधिकारी को महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े विभिन्न स्तर के कार्मिकों के विरुद्ध खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की गई है जिसके तहत दोषी पाये जाने पर आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सी.सी.ए. नियमों के नियम 16/17 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त परिपेक्ष में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 25 की ओर विशेष रुप से आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि ''जो कोई अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह दोष सिद्धि पर जुर्माने का जो 1000/- रुपये तक का हो सकेगा दायी होगा।'' अधिनियम की उक्त धारा को अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के पैरा 36(च) के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है, जिसके तहत ''राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्व-प्रेरणा से या प्रति-निर्देश किसी भी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी होने पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा।''

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के उल्लंघन के प्रकरणों में और विशेषकर श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियों से संबंधित प्रकरणों में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि श्रमिकों को अत्यधिक न्यून श्रम के भुगतान के प्रकरणों पर प्रभावी रुप से अंकुश लग सके एवं साथ ही उन्हें अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार दैनिक मजदूरी अधिकतम 15 दिवस के अन्दर उनके खातों में प्राप्त हो सके।

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम-राजस्थान)

क्रमांक:एफ 1(2)आरडी/नरेगा/मार्गदर्शिका/2010/पार्ट-द्वितीय

जयपुर, दिनांक

आदेश

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:एफ1(2) आरडी/ नरेगा/मार्गदर्शिका/2010/पार्ट-द्वितीय दिनांक 1 अक्टूबर 2010 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, महात्मा गांधी नरेगा का भी कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के निर्देशन में करेंगे। इस नवीन व्यवस्था अन्तर्गत पूर्व में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के रुप में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के अलावा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भी अतिरिक्त जिला

कार्यक्रम समन्वयक के रुप में कार्य करेंगे अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रमशः अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय के रुप में कार्य करेंगे।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम-2005 की धारा 14 के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है तथा उपरोक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। इनके द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को भी अधिनियम की धारा 14 (3) में उल्लेखित किया गया है। उक्त अधिनियम में जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिये निर्धारित जिम्मेदारियों के अध्यधीन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय के मध्य महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

2.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम द्वारा महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित किये जाने वाले कार्य:-

2.1.1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थापना संबन्धी कार्य।

2.1.2 विभागीय निर्देशानुसार विभिन्न स्तरों पर निर्धारित मापदण्डानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करना, निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रबोधन करना तथा महात्मा गांधी नरेगा सुचारु क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक कदम उठाना।

2.1.3 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील करना।

2.1.4. महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि कार्य का माप सही ढंग से हो जिससे कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत श्रमिकों को श्रमिक दर के अनुसार अधिकतम मजदूरी प्राप्त हो सके।

2.1.5. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता: प्रमाण पत्र का समयबद्ध रुप से तैयार करना।

2.1.6. महात्म गांधी नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।

2.1.7. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत समस्त कार्यों की अधिनियम एवं विभागीय दिशा निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर पर आवश्यक स्वीकृति जारी करवाना।

2.1.8. महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लिये सामग्री की आपूर्ति सुचारु रुप से विभिन्न स्तरों पर सुनिश्चित करवाना तथा इसमें आ रही कठिनाईयों का इस अनुरुप निराकरण करना एवं पंचायत/पंचायत समिति तथा अन्ततः जिला स्तर पर श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60 : 40 बरकार रखना एवं सामग्री मद में अनुमत 40 प्रतिशत का व्यय समग्र रुप से जिला स्तर पर निर्धारित रखना एवं इसमें किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होने देना।

2.1.9. 8फरवरी, 2010 को महात्मा नरेगा कार्यों के सुचारु संचालन हेतु गठित नरेगा स्थाई समिति की अक्षरशः क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

2.1.10 महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवंटित किया गया हो।

2.2 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

2.2.1. महात्म गांधी नरेगा योजना के कम्प्यूटरीकरण से जुड़े कार्य।

2.2.2. ई-मस्टररोल की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

2.2.3. एम.आई.एस.(Managment Information System) में सूचनाओं को आदिनांक फीड करवाना तथा उसकी नियमित जांच कर उसमें आ रही समस्याओं का निराकरण करना तथा भारत सरकार की नरेगा वैबसाइट पर एम.आई.एस.अलर्ट. (Alerts) को दूर करना।

2.2.4. विशेष अंकेक्षण तथा सामाजिक अंकेक्षण का समन्वित रुप से क्रियान्वयन करना एवं इसके दौरान पाई गई अधियमितताओं के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, एफ.आई.आर.दर्ज करवाना, राशि की विधिवत वसूली करवानार तथा इससे जुड़ी अन्य आवश्यक कार्यवाही करवाना। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायतवार प्रत्येक छः माह में एक बार करवाये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में दिये निर्देशानुसार तैयार करवाना एवं इससे जुड़ी समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2.2.5. वार्षिक कार्य योजना तथा वार्षिक श्रम बजट को समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ तैयार करवाना।

2.2.6. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत श्रमिकों के अधिकार, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु दिये प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चत करना।

2.2.7 योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।

2.2.8. राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अभाव अभियोग निराकरण नियम, 2010 की क्रियान्विति सुनिश्चित करना।

2.2.9. जिला स्तरीय "संवाद" राज्य सरकार के दिशा निर्देशों अनुरुप आयोजित करवाना।

2.2.10. महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य कोई भी कार्य जो जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवंटित किया गया हो।

3. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उपरोक्तानुसार महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के विभाजन के अलावा आवश्यकतानुसार उपरोक्त दोनों अधिकारियों के मध्य अन्य कार्यों का विभाजन किया जा सकता है परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखना अतिआवश्यक है कि अधिकारियों को असवंटित किये जाने वाले कार्य सम्पूर्ण जिले के लिये ही आवंटित किये जायें न कि पंचायत समितिवार जिससे कि राज्य स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान में उपरोक्त अधिकारियों से उनको आवंटित कार्य के संबंध में जिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके एवं दोनों ही अधिकारियों को आवंटित कार्यों की प्रभावी रुप से समीक्षा की जा सकें। मुख्य एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपरोक्तानुसार आवंटित कार्यों से संबन्धित पत्रावलियाँ सीधे ही जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जायेंगी। उपरोक्त दोनों अधिकारीगण उनको आवंटित कार्यों के लिए प्रमुख रुप से जिम्मेदार होंगे परन्तु जिला कार्यक्रम समन्वयक भी महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम-2005 की धारा 14 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम के अवकाश पर रहने या मुख्यालय पर नहीं होने के दौरान उनको आवंटित कार्य अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय देखेंगे तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वितीय के अवकाश पर रहने या मुख्यालय पर नहीं नहीं के दौरान उनको आवंटित कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम देखेंगे। इस प्रकार दोनों अधिकारी अपने समग्र उत्तरदायित्व को समझते हुए पूर्ण समन्वय स्थापित कर महात्मा गांधी नरेगा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग